



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932

No. 181]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 302(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ संख्या 1-4 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 63(अ), दिनांक 8 फरवरी, 2010 [खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियमावली, 2010] में :—

पृष्ठ 2 पर स्तंभ 2 में,

1. पंक्ति 31 में, "300 पीपीएम अधिकतम प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी" के स्थान पर "300 पीपीएम अधिकतम प्रविष्टि रखी जाएगी" पढ़ें।

[सं. पी. 15014/27/2007-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई.]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, में संख्यांक का.नि.आ. 2106, दिनांक 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 63(अ), दिनांक 8 फरवरी, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th April, 2010

**G.S.R. 302(E).**—In the notification Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) No. G.S.R. 63(E), dated the 8th February, 2010, [Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 2010] and published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary, at page 1-4, —

At page 4, in 2nd column,

1. in line 1 for the figure "(iv)" read "(ii)".
2. in line 5 for the figure "(v)" read "(iii)".
3. in line 14 for the word "inserted" read "substituted".

[No. P. 15014/27/2007-PFA/FSSAI]

VINEET CHAUDHRY, Jt. Secy.

**Note :—** The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2106 dated the 12th September, 1955 and were last amended vide G.S.R. 63(E) dated 8th February, 2010.